

"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत क्रमांक
जी-2-22 छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से
मिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
छत्तीसगढ़/दुर्म/09/2010-2012

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असोधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197।

रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 जून 2011 — ज्येष्ठ 18, शक 1933

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-42/18/2009.— छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों
को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम/ग्राम पंचायतों को नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा में सम्मिलित
करता है :-

अनुसूची-1

नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम (2)	जनसंख्या (2001) (3)
1.	आगासिबनी	2142
2.	कचन	4081
3.	जोरा	3968
4.	देवपुरी	3930
5.	डूमरतारई	3205
6.	नोरियाखुर्द	3218
7.	इडा	2952

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 जून 2011

अनुराची-2

नगर पालिक निगम, रायपुर की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होंगी :-

राजस्त ग्राम आमासिवनी, कचना, जोरा, देवपुरी, डूमरताराई, बोरियाखुर्द, दुंडा एवं नगर पालिक निगम, रायपुर की सीमाएं होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

क्रमांक एफ-1-42/18/2009.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधीन एफ-1-42/18/2009 दिनांक 07-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव

Raipur the 7th June 2011

NOTIFICATION

No. F-1-42/18/2009.— In exercise of the powers conferred by Section 405 (4) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby include the following Gram/Gram Panchayat in the boundary of Municipal Corporation, Raipur as given in the following schedule :-

SCHEDULE-1

The particulars of the Gram/Gram Panchayat which are included in the boundaries of Municipal Corporation Raipur is as under :-

S. No. (1)	Name of Gram/Gram Panchayat (2)	Population (2001) (3)
1.	Amasivni	
2.	Kachna	2142
3.	Zora	4081
4.	Devpuri	3968
5.	Doomartara	3930
6.	Boriakhurd	3205
7.	Dunda	3218
		2952

SCHEDULE-2

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Raipur is as below :-

The boundaries of the Municipal Corporation, Raipur will be the boundaries of existing revenue gram Panchayat Amasivni, Kachna, Zora, Devpuri, Doomartara, Boriakhurd, Dunda and Municipal Corporation, Raipur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-42/18/2009.— छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम/ग्राम पंचायतों को नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सीमा में सम्मिलित करता है :-

अनुसूची-1

नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम (2)	जनसंख्या (3)
1.	भगवानपुर	1467
2.	गोरखा	1063
3.	सराईपाली	619
4.	छातामुड़ा	2200
5.	सहदेवपाली	1040
6.	बोईदादर	2462
7.	विजयपुर	1093
8.	गोवर्धनपुर	501
9.	उर्दना	2659
10.	अमलीभौना	483
11.	बड़े अतरमुड़ा	546
12.	पतरापाली	3352

अनुसूची-2

नगर पालिक निगम, रायगढ़ की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होगी :-

राजस्व ग्राम भगवानपुर, गोरखा, सराईपाली, छातामुड़ा, सहदेवपाली, बोईदादर, विजयपुर, गोवर्धनपुर, उर्दना, अमलीभौना, बड़े अतरमुड़ा, पतरापाली एवं नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सीमाएं ही नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सीमाएं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

क्रमांक एफ-1-42/18/2009.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसंधान में इस विभाग के अधिसूचना एफ-1-42/8/2009 दिनांक 07-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव

Raipur the 7th June 2011

NOTIFICATION

No. F-1-42/18/2009. — In exercise of the powers conferred by Section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby include the following Gram/Gram Panchayat in the Boundaries of Municipal Corporation, Raigarh as given in the following schedule :-

SCHEDULE - 1

The particulars of the Gram/Gram Panchayat which are include in the Boundaries of Municipal Corporation Raigarh is as under :-

S. No. (1)	Name of Gram/Gram Panchayat (2)	Population (2001) (3)
1.	Bhagwanpur	1467
2.	Gorkha	1063
3.	Saraipali	619
4.	Chatamunda	2200
5.	Sahadevpali	1040
6.	Boirdadar	2462
7.	Vijaypur	1023
8.	Gowardhanpur	501
9.	Urdana	2659
10.	Amlihbawana	483
11.	Badeatarmunda	546
12.	Patrapali	3352

SCHEDULE - 2

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Raigarh is as below :-

The Boundaries of the Municipal Corporation, Raigarh will be the boundaries of existing revenue gram Panchayat Bhagwanpur, Gorkha, Saraipali, Chatamunda, Sahdevpali, Boirdadar, Vijaypur, Gowardhanpur, Urdana, Amlihbawana, Badeatarmunda, Patrapali and Municipal Corporation, Raigarh.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-42/18/2009. — छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 405 (1) में प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, निम्न अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित ग्राम/ग्राम पंचायतों को नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमा में सम्मिलित करता है :-

अनुसूची-1

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमा में सम्मिलित किये जाने वाले ग्राम/ग्राम पंचायतों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	ग्राम/ग्राम पंचायत का नाम (2)	जनसंख्या (3)
1.	नवागढ़	3084
2.	गंगापुर	1159
3.	बिशुनपुर	712
4.	भगवानपुर कला	2500

अनुसूची-2

नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की संशोधित सीमाएं निम्ना सूचित होंगी :-

राजस्व ग्राम नवागढ़, गंगापुर, बिशुनपुर, भगवानपुर कला एवं नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमाएं ही नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की सीमाएं होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव

रायपुर, दिनांक 7 जून 2011

क्रमांक एफ-1-42/18/2009. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसारण में इस विभाग के अधिसूचना एफ-1-42/18/2009 दिनांक 07-06-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र शुक्ला, उप-सचिव

Raipur, the 7th June 2011

NOTIFICATION

No. F-1-42/18/2009. — In exercise of the powers conferred by Section 405 (1) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government, hereby include the following Gram/Gram Panchayat in the Boundary of Municipal Corporation, Ambikapur as given in the following schedule :-

SCHEDULE - I

The particulars of the Gram/Gram Panchayat which are included in the Boundaries of Municipal Corporation Ambikapur is as under :-

S. No. (1)	Name of Gram/Gram Panchayat (2)	Population (2001) (3)
1.	Navagarh	3084
2.	Gangapur	1159
3.	Bisunpur	712
4.	Bhagwanpurkala	2500

SCHEDULE - 2

The revised boundaries of the Municipal Corporation, Ambikapur is as below :-

The Boundaries of the Municipal Corporation, Ambikapur will be the boundaries of existing revenue Gram Panchayat Navagarh, Gangapur, Bisunpur, Bhagwanpurkala, and Municipal Corporation Ambikapur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JITENDRA SHUKLA, Deputy Secretary.